



केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 517

01 10 2024

विषय: IS 517 : 2020 (मेथनॉल की विशिष्टि मेंथाइल अल्कोहल) में संशोधन संख्या 2 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 517 : 2020 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है। IS 517 : 2020 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि **08 मार्च 2025** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 517 : 2020 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **08 मार्च 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(इंद्रजीत सिंह)
वैज्ञानिक-डी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 517

01 10 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 2 to Indian Standard 517: 2020 Methanol (Methyl Alcohol- Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 2 to IS 517: 2020 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to IS 517: 2020 is **08 March 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **08 March 2025**

(Inderjeet Singh)
Scientist D (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices